रजि.स्टी सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड (i)
PART II—Section 3 Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160] नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 1978/ज्येष्ठ 3, 1900
No. 160] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 1978/JAISTHA 3, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 मई, 1978

अधिसूचना

विदेश यात्रा कर

सा. का. नि. 299(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 32) की धारा 46 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, ऐसे प्रत्येक यात्री को, जो कलाकार और अकादमिक प्रकार के नृत्य तथा अन्य सांस्कृतिक समारोहों के प्रयोजनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा करता है, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय समस्त विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि,—

(1) संस्कृति विभाग या पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विदेश यात्रा कर से छूट देने की सिफारिश की हो,

(2) अन्तरराष्ट्रीय यात्रा के लिए संस्कृति विभाग या पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा पूर्णतः या अंशतः आर्थिक सहायता दी गई हो, और

(3) संस्कृति विभाग या पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय यह प्रमाणित करे कि यात्रा अवाणिज्यिक प्रकार के नृत्य तथा अन्य सांस्कृतिक समारोहों के प्रयोजनार्थ की जानी है।

[सं. 1/वि. या. कर/78-फा. सं. 306/8/78-वि. या. कर]

एस. बासु, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 1978

FOREIGN TRAVEL TAX

G.S.R. 299(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 46 of the Finance (No. 2) Act, 1971 (32 of 1971), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the every passenger who is an artiste and performing an international journey for purposes of dance or other cultural performances of non-commercial nature, from the payment of the whole of the foreign travel tax leviable under sub-section (1) of section 45 of the said Act :

Provided that,—

(i) the Department of Culture or the Ministry of Tourism and Civil Aviation have recommended exemption from payment of foreign travel tax ;

(ii) the international journey is subsidised either wholly or partly by the Department of Culture or the Ministry of Tourism and Civil Aviation ; and

(iii) the Department of Culture or the Ministry of Tourism and Civil Aviation certifies that journey is for the purpose of dance or other cultural performances of non-commercial nature.

[No. 1/FTT/78-F. No. 306/8/78-FTT]

S. BASU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978